



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-20022026-270357
CG-WB-E-20022026-270357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947

No. 890]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना संगठन)

अधिसूचना

कोलकाता, 18 फरवरी, 2026

का.आ. 932(अ).—रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 के सेक्शन (37 ए) के अन्तर्गत सड़क ऊपरी पुल के वर्गीकरण के संबंध में नई दिल्ली से बृहस्पतिवार 5, फरवरी 2026/ माघ 16, 1947 को राजपत्र सं. 545 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में शुद्धिपत्र ।

उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम सं. 6 एवं 7 के अन्तर्गत सड़क ऊपरी पुल के जिले का नाम क्रमशः सुंदरगढ़ और मयूरभंज के स्थान पर संबलपुर और झारसुगुडा पड़ा जाए ।

मूल अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे ।

[फा. सं. एसईआर/कॉन/आरएसपी/एचक्यू/आरओबी/लैंड एक्विजिशन/एसआरपी/2]

अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Eastern Railway)
(ROAD SAFETY PROJECT ORGANIZATION)

NOTIFICATION

Kolkata, the 18th February, 2026

S.O. 932(E).— Corrigendum of Gazette Notification published vide No. 545, New Delhi Thursday, February 5, 2026/ Magha 16, 1947 regarding classification of sanctioned Road Over Bridge under clause (37A) of Section 2 of Railway Act 1989.

The District Name of Road Over Bridge under Sl. No. 6 & 7 of the above Notification shall be read Sambalpur and Jharsuguda instead of Sundargarh and Mayurbhanj.

All other terms and conditions of the original Notification remain unchanged.

[F. No. SER/CON/RSP/HQ/ROBs/Land Acquisition/SRP/2]

ANIL KUMAR, Chief Admn. Officer (Con)/RSP